



Neutral Citation No. - 2026:AHC:127118

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 12361 वर्ष 2026

अचमन उपाध्याय उर्फ छोटू

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : सुदर्शन सिंह

विपक्षी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय श्रीमती वाणी रंजन अग्रवाल, न्यायमूर्ति

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सुदर्शन सिंह तथा राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता डॉ. एस.बी. मौर्य को सुना।
2. वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 57 वर्ष 2020, धारा 302, 34 भारतीय दंड संहिता, थाना उत्तर, जिला फिरोजाबाद के अंतर्गत विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि मामले का विचारण बहुत धीमी गति से चल रहा है और आरोप पत्र के कुल 19 गवाहों में से अब तक केवल 7 गवाहों का ही परीक्षण (साक्ष्य) हो सका है। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि यद्यपि आवेदक का 19 अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास है, किंतु वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र में उसका स्पष्टीकरण दे दिया गया है और आवेदक की 6.5 वर्ष से अधिक की लंबी कारावास की अवधि को देखते हुए उसे जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि सह-अभियुक्त गोविंद उर्फ गोविंदा को इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया है और आवेदक को न तो कोई विशिष्ट भूमिका सौंपी गई है और न ही मृतक की हत्या करने का कोई साक्ष्य या आशय है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि तथ्य के सभी गवाह प्रथम सूचनाकर्ता के परिवार के सदस्य हैं और किसी भी स्वतंत्र गवाह ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है।
5. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन वे इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि वर्तमान मामले में आवेदक 13.02.2020 से अर्थात् पिछले 6.5 वर्षों से अधिक समय से जेल में है और आरोप पत्र के कुल 19 गवाहों में से अब तक केवल 7 अभियोजन गवाहों का ही परीक्षण हो सका है।
6. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
7. मामले के संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों, दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों पर विचार करते हुए और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए तथा जेलों में अत्यधिक भीड़ और विचारण न्यायालयों के समक्ष आपराधिक मामलों के भारी संख्या में लंबित होने के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय के शेख जावेद इकबाल उर्फ अशफाक अंसारी उर्फ जावेद अंसारी [2014 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 1755] के मामले में निर्णय को ध्यान में रखते हुए, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि भले ही आरोप गंभीर हों, लंबी कारावास और विचारण की धीमी गति के आधार पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जा सकता है, मेरा यह मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।
8. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
9. उपरोक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक- अचमन उपाध्याय उर्फ छोटू को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र (मुचलका) और उसी धनराशि की दो प्रतिभूतियां (जमानतें) प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- i. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे कि वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत रहे, तथा वह साक्ष्य के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - ii. आवेदक बिना कोई स्थगन मांगे विचारण/अन्वेषण में ईमानदारी से सहयोग करेगा।
 - iii. आवेदक जमानत पर रिहा होने के उपरांत किसी आपराधिक गतिविधि या किसी अपराध को करने में संलिप्त नहीं होगा।
 - iv. आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित रहेगा।
10. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष इस न्यायालय के समक्ष आवेदक की जमानत निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा।
11. यह स्पष्ट किया जाता है कि इसमें की गई टिप्पणियां जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु पक्षों द्वारा लाए गए तथ्यों तक ही सीमित हैं और विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर इन टिप्पणियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(श्रीमती वाणी रंजन अग्रवाल, न्यायमूर्ति)

12 जून, 2026

एस.ए.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।